

झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग।

का. आ.सं.-9/राज.संग्रहण(कोर्टकेश)-08-02/2015:-

राँची दिनांक:-

कार्यालय आदेश

कतिपय मामलों में देखा जा रहा है कि विभाग द्वारा अनुमोदित तथ्य विवरणी एवं माननीय उच्च न्यायालय में दायर प्रतिशपथ पत्र में भिन्नता/त्रुटियाँ पाई जा रही है।

भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए सक्षम प्राधिकार से संचिका में अनुमोदित तथ्य विवरणी की स्वच्छ प्रति की सभी पृष्ठों पर Initials तथा अन्तिम पृष्ठ पर संबंधित प्रभारी, अवर सचिव/उप सचिव के हस्ताक्षर के साथ निम्न तथ्य अंकित किया जाना अपेक्षित है :-

" The Statement of fact is as approved by Ad/ chief secretary water Resources Department, govt of Jharkhand"

संबंधित अवर सचिव, उप सचिव को अनुमोदित तथ्य विवरणी के अनुसार अनुलग्नको को संलग्न किये जाने से भी आश्वस्त होना आवश्यक है।

उक्त पर अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(आलोक त्रिवेदी)


सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:- 2915

राँची दिनांक:-

07-11-17

प्रतिलिपि:- सभी उप-सचिव/सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब/इन्फारमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(आलोक त्रिवेदी)

सरकार के संयुक्त सचिव।

07-11-17